न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 79/2016 G.C.M.S. No. 2016/00462 दर्ज दिनांक : 19.09.2016

अपीलार्थिगण:

1. गिलुराम पुत्र लादूराम, उम्र 22 वर्ष
2. लादूराम पुत्र हीराजी, उम्र 57 वर्ष, जातिगण घांची, निवासीगण सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पकाराम पुत्र हीरा, उम्र 64 वर्ष
2. प्रकाश पुत्र लकाराम, उम्र 37 वर्ष
3. लच्छीबाई पत्नि लकाराम, उम्र 62 वर्ष
4. गजरो बाई पत्नि लकाराम, उम्र 62 वर्ष, तमाम जातिगण घांची, निवासीगण सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2016

पैरोकार–

1. श्री दीपाराम परमार, श्री रामलाल भाटी, श्री शरद परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 13.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट एवम् रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से लगाकर 05 के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा सरहद सादडी 1, पटवार हल्का सादडी 1, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान की सीमा क्षेत्र में स्थित सहखातेदारी कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के सहखातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की आयी हुई विद्यमान है। संवत् 2012 से पूर्व और 2012 से लेकर स्वर्गीय हीरा पुत्र श्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

लालाजी का संयुक्त हिन्दू परिवार वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर लगातार काश्त करते हुए लगान अदा करते रहने से संवत् 2012 की गिरदावरी में हीरा पुत्र श्री लालाजी घांची का नाम बतौर कृषक इन्द्राज होने से हाल सेटलमेन्ट पूर्व के नामांतरकरण संख्या 381 के जरिये स्वर्गीय हीरा पुत्र श्री लालाजी का नाम इन्द्राज किया गया, जिसमें हीराजी के संयुक्त परिवार के ज्येष्ठ सदस्य चुनीया पुत्र श्री हीरा का नाम गलत रूपेण इन्द्राज किया गया वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता हीराजी को निहित खातेदारी हक अधिकार की सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में हीरा पुत्र श्री लालाजी के सभी पुत्रों का समान हक अधिकार और कब्जा काश्त निहित है। लेकिन बिना किसी हक अधिकारिता के नामांतरकरण संख्या 381 चुनीया वल्द हीरा का नाम इन्द्राज किया गया है। जो वादी और हीराजी के अन्य पुत्रों लकाराम, लादूराम के हक अधिकारों के विपरीत प्रभाव शून्य और निष्प्रभावी है। चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकारों को क्रय नहीं किया, बल्कि खातेदार हीरा पुत्र श्री लालाजी का निर्वसीयती स्वर्गवास होने से वादी और प्रतिवादी संख्या 01 एंव चुन्नीलाल, लकाराम को बहिस्सा बराबर खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त निहित हुए हैं, इसी क्रम में चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी को विरासत से प्राप्त पैतृक खातेदारी हक अधिकारों की वसीयत किये बिना ही अर्थात् चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी का लाऔलाद निर्वसीयती स्वर्गवास होने से भाई वादी पकाराम और प्रतिवादी संख्या 01 लादूराम, स्वर्गीय लकाराम को बराबर–बराबर हक अधिकार के कब्जा काश्त निहित हुआ। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मामला अत्यन्त ही जटिल प्रवृति का विचाराधीन था। जो न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किये जाने के बाद पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये जाने के बाद प्रत्येक तनकी को विस्तृत रूप से विनिश्चित किये जाने के बाद ही फैसला किया जाना था तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को न मानने का अथवा मानने का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए इस बारे में न्यायालय का मत उल्लेखित होना था। परन्तु न्यायालय ने ऐसा नहीं कर सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। दिनांक 29.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प सादडी में पेश हुई। पेशी पर अपीलान्ट गिलुराम उपस्थित नहीं था। अपीलान्ट संख्या 02 लादूराम वहां उपस्थित था। राजीनामे की बात पर लादूराम से मौखिक में पूछा गया तो लादूराम ने किसी भी प्रकार के राजीनामा किये जाने से इंकार किया तब कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा के यह कहा कि पेशी का बाद में मामूल कर लेगा। बाद में पेशी का मामूल किया तो पता चला कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के वाद पत्र अनुसार वाद पत्र का फैसला कर दिया है। जो सरासर गलत तथा आधारहीन होने से अपीलान्ट को स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ही नहीं हैं। दिनांक 29.06.2016 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से लगाकर 04 के पक्ष में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जिससे अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 29.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प सादडी में पेश हुई। पेशी पर अपीलान्ट गिलुराम उपस्थित नहीं था। अपीलान्ट संख्या 02 लादूराम वहां उपस्थित था। राजीनामे की बात पर लादूराम से मौखिक में पूछा गया तो लादूराम ने किसी भी प्रकार के राजीनामा किये जाने से इंकार किया तब कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा के यह कहा कि पेशी का बाद में मामूल कर लेगा। बाद में पेशी का मामूल किया तो पता चला कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के वाद पत्र अनुसार वाद पत्र का फैसला कर दिया है। जो सरासर गलत तथा आधारहीन होने से अपीलान्ट को स्वीकार ही नहीं हैं। दिनांक 29.06.2016 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से लगाकर 04 के पक्ष में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से विलंब कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 29.10.2015 के अनुसार अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 8 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 20.04.2016 के अंकन अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी जवाब का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली दिनांक 25.05.2016 को वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। इसके पश्चात आगामी आदेशिका दिनांक 29.06.2016 को लिखी गई। जोकि न्याय आपके द्वार कैम्प सादडी में लिखी गई। पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 25.05.2016 को आदेशिका अंकन का पत्रावली पर अभाव है तथा पत्रावली किस आदेशिका से दिनांक 29.06.2016 में नियत की गई, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई आदेश या अंकन आदि नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 29.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत करने के संबंध में पक्षकारान को सूचित/नोटिस जारी किए जाने का पत्रावली पर कोई अभिलेख या अंकन आदि नहीं हैं। आदेशिका दिनांक 29.06.2016 के अंकन अनुसार वादी पकाराम व प्रतिवादी लच्छीबाई के अंगुष्ठ निशान व प्रतिवादी लादूराम के हस्ताक्षर अंकित है। शेष प्रतिवादीगण की उपस्थिति/हस्ताक्षर का कोई अंकन नहीं हैं। उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह अंकन करते हुए कि पक्षकारान ने निवेदन किया कि माफिक वादपत्र 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी फरमावे के साथ अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारान के मध्य राजीनामा/सहमति निष्पादित किये जाने संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में इस संबंध में कोई उल्लेख किया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के अंगुष्ठ निशान व प्रतिवादी संख्या 1 के आदेशिका पर हस्ताक्षर महज लोक अदालत कैम्प में उक्त पक्षकारान की उपस्थिति का प्रतीक है, न कि किसी प्रकार के राजीनामा निष्पादन का। वैसे भी वादपत्र राजीनामा के आधार पर केवल उसी स्थिति में निर्णित किये जा सकते हैं जबकि समस्त पक्षकारान द्वारा सहमति से राजीनामा निष्पादित किया जावें तथा न्यायालय में उपस्थित हों एवं न्यायालय की नजर में ऐसा राजीनामा विधिसंगत हों। हस्तगत प्रकरण में न तो राजीनामा निष्पादित किया गया व न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा से लोक अदालत में पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है तथा हस्तगत अपील धारा 96 (3) सीपीसी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 (2) के विधिक प्रावधानों से बाधित व प्रभावित नहीं हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री से पूर्व पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी की सूचना/नोटिस दिए बिना प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखने, पत्रावली साक्ष्य कायमी तनकीयात में नियत होने के बावजूद प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना तथा पक्षकारान की सहमति, राजीनामा नहीं होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखकर, समस्त पक्षकारान की उपस्थिति नहीं होने के बावजूद एवं उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित नहीं किए जाने के बावजूद निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में विधिनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.12.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner